

न्यायालय:-अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण गोहद जिला भिण्ड म०प्र०

प्रकरण क मांक 38/2014 क्लेम

संस्थापित दिनांक 30-07-2014

कुमारी कुसुम पुत्री स्व. वकीलसिंह, उम्र 19 वर्ष।  
व्यवसाय अध्ययन, निवासी ग्राम जैतपुरा थाना  
गोहद चौराहा, जिला भिण्ड म०प्र०।

----- आवेदिका

### **बनाम**

1. कल्यानसिंह कुशवाह पुत्र श्री जगदीश सिंह  
कुशवाह, आयु 28 वर्ष, निवासी- बीरेन्द्र नगर  
गली नम्बर 2, वार्ड नम्बर 30, थाना देहात,  
जिला भिण्ड म०प्र०।

-----वाहन चालक

2. गोविन्द सिंह पुत्र श्री जगदीश सिंह, निवासी  
बीरेन्द्र नगर गली नम्बर 2, वार्ड नम्बर 30, थाना  
देहात भिण्ड, जिला भिण्ड म०प्र०।

-----वाहन मालिक

3. टाटा ए.आई.जी. जनरल इंश्योरेंस कम्पनी  
लिमिटेड, द्वारा प्रबंधक द्वितीय मंजिल 1  
5-ए एवो सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया नियर कैफे  
कॉफी डे मालविया नगर भोपाल 462003 म०प्र०।

-----अनावेदकगण

### **एवं**

प्रकरण क मांक 37/2014 क्लेम

संस्थापित दिनांक 30.07.2014

ऋषिकेश प्रजापति पुत्र श्री नाथुराम प्रजापति,  
उम्र 24 वर्ष। व्यवसाय मजदूरी, निवासी छत्रपुरा  
वार्ड नम्बर 1 गोहद जिला भिण्ड म०प्र०।

----- आवेदक

**बनाम**

1. कल्यानसिंह कुशवाह पुत्र श्री जगदीश सिंह  
कुशवाह, आयु 28 वर्ष, निवासी- बीरेन्द्र नगर  
गली नम्बर 2, वार्ड नम्बर 30, थाना देहात,  
जिला भिण्ड म0प्र0।  
-----वाहन चालक
2. गोविन्द सिंह पुत्र श्री जगदीश सिंह, निवासी  
बीरेन्द्र नगर गली नम्बर 2, वार्ड नम्बर 30, थाना  
देहात भिण्ड, जिला भिण्ड म0प्र0।  
-----वाहन मालिक
3. टाटा ए.आई.जी. जनरल इंश्योरेंस कम्पनी  
लिमिटेड, द्वारा प्रबंधक द्वितीय मंजिल 1  
5-ए एवो सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया नियर कैफे  
कॉफी डे मालविया नगर भोपाल 462003 म0प्र0।  
-----अनावेदकगण

दोनों प्रकरणों के- आवेदकगण द्वारा श्री ओ.पी. श्रीवास अधिवक्ता।  
अनावेदक कं0 1, 2 द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता।  
अनावेदक कं0 3 द्वारा श्री के0पी0राठौर अधिवक्ता

//अधि-निर्णय//

//आज दिनांक 27-04-2016 को घोषित किया गया //

01. आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत दोनों अलग अलग क्लेम याचिकाओं/  
आवेदनपत्र धारा 166 सहपठित धारा 140 मोटरयान अधिनियम का निराकरण इस आदेश  
के द्वारा किया जा रहा है, जो कि एक ही घटनाक्रम से संबंधित होने से दोनों ही प्रकरणों  
का संयुक्त रूप से निराकरण किया जा रहा है। जिसमें कि आवेदकगणों के द्वारा वाहन  
महिन्द्रा छोटा हाथी क्रमांक एम.पी. 30 एल.ए. 0433 के चालक, वाहन स्वामी और बीमा कम्पनी  
के विरुद्ध मृतक वकीलसिंह की मृत्यु एवं ऋषिकेश को मोटरयान दुर्घटना में गंभीर उपहति  
होने के फलस्वरूप उनके विधिक वारिस होने के आधार पर क्रमशः 24,50,000/- रूपए एवं  
6,20,000/- रूपए प्रतिकर स्वरूप एवं उस पर दावा प्रस्तुति दिनांक से उसकी बसूली तक

व्याज दिलाए जाने बावत् निवेदन किया गया है।

02. यह अविवादित है कि वाहन महिन्द्रा छोटा हाथी क्रमांक एम.पी. 30 एल.ए. 0433 का अनावेदक क्रमांक 2 स्वामी है तथा उसका चालक अनावेदक क्रमांक 1 है और उक्त वाहन घटना दिनांक को अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कम्पनी में बीमित था।

03. दोनों ही क्लेम प्रकरणों के संबंध में समान तथ्य इस प्रकार से है कि दिनांक 19.03.2014 को वकीलसिंह अपने गांव जेतपुरा से महिन्द्रा छोटा हाथी क्रमांक एम.पी. 30 एल.ए. 0433 में गल्ला रखकर बैचने के लिए गोहद जा रहा था, उसके साथ ऋषिकेश भी गल्ला बैचने के लिए जा रहा था। उक्त वाहन जैसे ही भिण्ड ग्वालियर रोड नीलेश शर्मा के होटल के पास थाना गोहद चौराहा क्षेत्र में पहुँचा उसके चालक के द्वारा उसे तेजी व लापरवाही से चलाते हुए पलट दिया जिससे कि वकीलसिंह एवं ऋषिकेश को गंभीर चोटें आईं। अनावेदक क्रमांक 1 जो कि उक्त वाहन को घटना के समय चला रहा था घटना के उपरांत वाहन को घटनास्थल पर छोड़कर भाग गया। उक्त दुर्घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना गोहद चौराहे में की गई जिस पर कि अप0क0 69/2014 धारा 279, 337 भा0दं0वि0 का प्रश्नाधीन वाहन के चालक के विरुद्ध पंजीबद्ध किया गया। वाहन की जप्ती की गई। अनावेदक क्रमांक 1 जिसके द्वारा घटना के समय वाहन तेजी व लापरवाही से चलाया जा रहा था उसे गिरफ्तार किया गया। वाहन को अनावेदक क्रमांक 2 जो कि उसका स्वामी है के द्वारा सुपुर्दगी पर प्राप्त किया गया। इलाज के दौरान आहत वकीलसिंह की मृत्यु हो जाने से धारा 304ए भा0दं0वि0 का इजाफा किया जाकर अभियोगपत्र जे.एम.एफ.सी न्यायालय गोहद में अनावेदक क्रमांक 1 के विरुद्ध पेश किया गया।

#### क्लेम प्र0क0 38/2014 के संबंध में विशिष्ट तथ्य:-

04. आवेदिका कुमारी कुसुम की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र के विशिष्ट तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि मृतक वकीलसिंह 50 वर्षीय हृष्टपुष्ट व्यक्ति होकर कृषि कार्य एवं दूध बिक्रय कर 10,000/- रुपए मासिक आमदनी अर्जित कर लेता था। आवेदिका मृतक की पुत्री होकर वैध उत्तराधिकारिणी एवं वारिस होकर उसकी आय पर आश्रित थी। आवेदिका की माँ श्रीमती भूरी जो कि मृतक वकीलसिंह की पत्नी थी का 5-6 वर्ष पूर्व ही देहांत हो चुका है। वकीलसिंह को सड़क दुर्घटना में आई हुई गंभीर चोटों के कारण सिविल अस्पताल गोहद ले जाया गया। वकीलसिंह को दोनों पैरों, घुटनों, सिर, भौंह, कंधे और दोनों हाथों की कोहनी में गंभीर चोटें आई थी और जिसे कि ग्वालियर ट्रामा सेन्टर रिफर किया गया, जहाँ कि उसे इलाज हेतु भर्ती रखा गया और इलाज के दौरान दिनांक 31.03.2014 को वकीलसिंह की

दुर्घटना में आई हुई चोटों के कारण मृत्यु हो गई। वकीलसिंह को दुर्घटना में आई हुई गंभीर चोटों के इलाज में दो लाख रूपए खर्च हुए हैं। आवेदिका जो कि मृतक की पुत्री है के द्वारा ही अंतिम संस्कार आदि का खर्च किया गया है। पिता वकीलसिंह की मृत्यु हो जाने से आवेदिका उनके द्वारा प्राप्त होने वाली आय से बंचित हो गई और उसे शारीरिक व मानसिक कष्ट भी पहुँचा है और वह पिता के लाड प्यार से भी बंचित हो गई है। यदि उनकी आकस्मिक मृत्यु नहीं होती तो वह आवेदिका की अच्छे घर में शादी कर सकता था। प्रश्नाधीन वाहन आवेदक क्रमांक 1 के द्वारा दुर्घटना के समय चलाया जा रहा था जो कि अनावेदक क्रमांक 2 के स्वामित्व का था और अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कम्पनी में बीमित था। ऐसी दशा में मृतक की मृत्यु के फलस्वरूप विभिन्न मदों में 24,50,000/- रूपए प्रतिकर स्वरूप दिलाए जाने का निवेदन आवेदिका के द्वारा किया गया है।

क्लेम प्र0क्र0 37/2014 के संबंध में विशिष्ट तथ्य:-

05. आवेदक ऋषिकेश की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र संक्षेप में इस प्रकार से है कि दुर्घटना के समय आवेदक 23 वर्ष का हृष्टपुष्ट नवयुवक होकर मेहनत मजदूरी कर चार हजार रूपए मासिक आमदनी अर्जित कर लेता था। दुर्घटना में उसे गंभीर चोटें आई थी जो कि उसके दाहिने हाथ की कलाई में फ्रेक्चर, बाँए आँख की भौंह फट गई थी, बाँए कंधे में फ्रेक्चर हो गया था, सिर में गंभीर चोटें आई थी तथा शरीर में गंभीर मुदी चोटें आई थी, जिनका कि पहले गोहद सिविल अस्पताल में इलाज चला था बाद में जे.ए.एच. ग्वालियर रिफर कर दिया गया था, जहाँ नीरोलॉजी विभाग में भर्ती रहा था और उसका सिटीस्केन भी कराया गया था और इलाज के दौरान उसे विभिन्न दवाईयाँ आदि लेना पड़ी और फ्रेक्चर पर प्लास्टर भी बांधा गया था और उसके अस्थिभंग का ऑपरेशन भी कराया गया। दुर्घटना में आई हुई चोटों से आवेदक को कम दिखाई देने लगा है और वह मजदूरी का काम हाथ की कलाई व कंधे में फ्रेक्चर होने से नहीं कर पा रहा है, उसे स्थाई अशक्तता आ गई है। मजदूरी का कार्य नहीं कर पाने से वह बैरोजगार हो गया है। दुर्घटना में आई हुई गंभीर चोटों से शारीरिक व मानसिक व आर्थिक कष्ट भी सहन करना पड़ा एवं इलाज के दौरान उसे पोष्टिक आहार का भी सेवन करना पड़ा है। उसकी चोटें एवं फ्रेक्चर का इलाज चलने से वह करीब एक वर्ष तक बिस्तर पर लेटा रहा जिस कारण वह मजदूरी आदि कार्य पर नहीं जा सका। उक्त दुर्घटना अनावेदक क्रमांक 1 के द्वारा प्रश्नाधीन वाहन जो कि अनावेदक क्रमांक 2 के स्वामित्व का था और अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कम्पनी में बीमित था के द्वारा तेजी व लापरवाही से चलाने के फलस्वरूप घटित हुई है। इस परिप्रेक्ष्य में विभिन्न मदों में प्रतिकर स्वरूप 6,20,000/- रूपए



अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 3 से संयुक्त एवं प्रथक प्रथम रूप से दिलाए जाने का निवेदन किया है।

06. उपरोक्त दोनों ही क्लेम आवेदनपत्रों का अनावेदक क्रमांक 1 व 2 के द्वारा समान रूप से पेश करते हुए आवेदकगण के आवेदनपत्र में किए गए अभिवचनों को अस्वीकार करते हुए बताया है कि दिनांक 19.03.2014 को अनावेदक क्रमांक 1 के द्वारा वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए कोई दुर्घटना कारित नहीं की गई है। आवेदक एवं उनके परिवार वालों ने पुलिस थाना गोहद चौराहा से मिलकर अनावेदक क्रमांक 1 के विरुद्ध झूठा मामला पंजीबद्ध करा दिया है और अनावेदक क्रमांक 2 के वाहन को झूठा लिप्त कर लिया है। अनावेदक क्रमांक 2 का वाहन विधिवत बीमित था और बीमा की सभी शर्तों का विधिवत पालन किया गया है। ऐसी दशा में अनावेदक क्रमांक 1 व 2 का प्रतिकर अदायगी हेतु कोई दायित्व नहीं होता है। उनके संबंध में क्लेम आवेदनपत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

07. अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कम्पनी के द्वारा भी उपरोक्त दोनों ही क्लेम आवेदनपत्रों में समान रूप से जबाब पेश करते हुए आवेदक के आवेदनपत्रों के अभिवचनों को इन्कार करते हुए प्रारंभिक आपत्तियों में यह आधार लिया गया है कि घटना दिनांक को बीमित वाहन एम.पी. 30 एल.ए. 0433 जो कि गुड्स केरियर की महिन्द्रा जी.आई.ओ. का उपयोग मोटर व्हीकल एक्ट एवं बीमा पॉलिसी की शर्तों के विपरीत अनाधिकृत रूप से सवारियों को बैठाकर यात्री वाहन के रूप में किया जा रहा था। प्रश्नाधीन वाहन जो कि गुड्स केरियर व्हीकल है जिसमें अनाधिकृत यात्री के जोखम कबर नहीं होता है। दुर्घटना दिनांक को मृतक एवं आहत अन्य साथियों के साथ बीमित वाहन में अनाधिकृत रूप से बैठकर यात्रा कर रहे थे। यात्री के संबंध में पृथक से कोई प्रीमियम भी अदा नहीं किया गया था। बीमित वाहन में दुर्घटना के समय अनाधिकृत रूप से बैठे किसी भी यात्री की जोखम बीमा पॉलिसी में नहीं था। इस कारण बीमा कम्पनी का क्षतिपूर्ति अदायगी हेतु कोई दायित्व नहीं है। प्रश्नाधीन वाहन घटना दिनांक को मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों एवं बीमा पॉलिसी की शर्तों के विपरीत वैध एवं प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस, परिमित एवं बिना बीमा के चलाया जा रहा था। अनावेदक क्रमांक 1 व 2 के द्वारा आवेदक के साथ दुरभि संधि करते हुए वर्तमान क्लेम आवेदनपत्र पेश किया गया है। इसके अतिरिक्त आवेदक के द्वारा किए गए शेष अभिवचनों को जिसमें कि मृतक की आमंदनी अर्जित करने एवं वाहन में रखकर गल्ला बैचने हेतु गोहद आने और वाहन को अनावेदक क्रमांक 1 के द्वारा तेजी व लापरवाही से चलाकर पलट देने की बात को भी इन्कार किया है। आवेदक के द्वारा आवेदनपत्र में जो क्षतिपूर्ति की रशि बताई गई है वह भी मनमाने ढंग से बताई गई है। अतिरिक्त आपत्ति में भी उसके द्वारा यह आधार लिया

गया है कि घटना दिनांक को प्रश्नाधीन वाहन बिना वैध बीमा, फिटिनेश एवं परिमिट के चलाया जा रहा था और उसका परिमिट और फिटिनेश भी नहीं था। इस कारण बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन हुआ है। पुलिस के द्वारा अपने वैधानिक कर्तव्यों का पालन नहीं किया गया है और वाहन की बीमा कम्पनी को भी उनके द्वारा समय पर सूचना नहीं दी गई है। आवेदक मृतक की विधि संगत वारिस भी नहीं है। ऐसी दशा में जबकि वाहन से दुर्घटना हुई ही नहीं है आवेदक कोई भी क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त करने के अधिकारिणी नहीं है।

08. आवेदकपक्ष एवं अनावेदक पक्ष के अभिवचनों के आधार पर निम्न वाद प्रश्नों की रचना की गयी है जिस पर निकाले गये निष्कर्ष उनके सामने अंकित किये जा रहे हैं –

**प्रकरण कमांक 38/14 क्लेम**

क्र0	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या दिनांक 19.03.2014 को ग्वालियर भिण्ड रोड नीलेश शर्मा के होटल के आगे थाना गोहद चौराहा में अनावेदक क्र0 1 के द्वारा अनावेदक क्र0 2 के स्वामित्व के वाहन महिन्द्रा लोडिंग क्रमांक एम.पी. 30 एल.ए. 1433 को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए वाहन को पलट देने से वकीलसिंह को चोटें आकर उसकी मृत्यु कारित हुई?	
2	क्या मृतक वकीलसिंह दूध का व्यवसाय एवं कृषि कार्य कर 10,000/- रुपए प्रतिमाह की आमदनी अर्जित कर लेता था?	
3	क्या वाहन महिन्द्रा लोडिंग क्रमांक एम.पी. 30 एल.ए. 0433 का उपयोग मोटर व्हीकल एक्ट एवं बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन कर चलाया जा रहा था? यदि हाँ तो प्रभाव?	
4	क्या आवेदिका क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त करने के अधिकारी है? यदि हाँ तो किससे एवं कितना कितना?	

5	सहायता एवं व्यय?	
---	------------------	--

**प्रकरण क्रमांक 37/14 क्लेम**

क्र0	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या दिनांक 19.03.2014 को ग्वालियर भिण्ड रोड नीलेश शर्मा के होटल के आगे थाना गोहद चौराहा में अनावेदक क्र0 1 के द्वारा अनावेदक क्र0 2 के स्वामित्व के वाहन महिन्द्रा लोडिंग क्रमांक एम.पी. 30 एल.ए. 1433 को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए वाहन को पलट देने से आवेदक को गंभीर चोटें आई?	
2	क्या उक्त दुर्घटना में आयी चोटों से आवेदक को स्थाई असक्तता कारित हुई?	
3	क्या वाहन महिन्द्रा लोडिंग क्रमांक एम.पी. 30 एल.ए. 0433 का उपयोग मोटर व्हीकल एक्ट एवं बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन कर चलाया जा रहा था? यदि हाँ तो प्रभाव?	
4	क्या आवेदक क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त करने के अधिकारी है? यदि हाँ तो किससे एवं कितना कितना?	

5	सहायता एवं व्यय?	
---	------------------	--

### // निष्कर्ष के आधार //

क्लेम प्र0कं0 38/2014, 37/2014 क्लेम के बिन्दु क. 1 :-

09. क्लेम प्रकरण 38/14 की आवेदिका कुसुम आ0सा0 1 ने अपने साक्ष्य कथन में आवेदनपत्र में किए गए अभिवचनों का समर्थन करते हुए बताया है कि दिनांक 29.03.2014 को उसके पिता वकीलसिंह अपने गांव जेतपुरा से महिन्द्रा छोटा हाथी क्रमांक एम.पी. 30 एल.ए 0431 में गल्ला रखकर गोहद बैचने के लिए जा रहे थे, उनके साथ ऋषीकेश भी गल्ला बैचने के लिए गोहद जा रहा था। उक्त वाहन को अनावेदक क्रमांक 1 के द्वारा तेजी व लापरवाही से चलाकर ले जाया जा रहा था और जैसे ही वाहन नीलेश शर्मा के होटल के पास पहुँचा उसके चालक अनावेदक क्रमांक 1 के द्वारा तेजी व लापरवाही से चलाकर उसे पलटा दिया गया। दुर्घटना में वकीलसिंह एवं ऋषीकेश को चोटें आईं जो कि उसके पिता वकीलसिंह के दोनों पैर, घुटनों, सिर, दाहिनी भों, कंधे और दोनों हाथों की कोहनी में गंभीर चोटें आईं। उसे ग्वालियर ट्रामा सेन्टर में रिफर कर दिया गया जहाँ उसके पिता का एक्सरे कराया गया और इलाज हेतु भर्ती किया गया। दिनांक 21.03.2014 को इलाज के दौरान वकीलसिंह की मृत्यु हो गई। आवेदिका के द्वारा आपराधिक प्रकरण जो कि अनावेदक क्रमांक 1 के विरुद्ध चल रहा है से संबंधित आपराधिक प्रकरण की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी. 1 लगायत 5 पेश किए गए हैं जिनमें प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 1, मेडीकल रिपोर्ट प्र.पी. 2, शव परीक्षण आवेदनपत्र प्र.पी. 3, शव परीक्षण प्रतिवेदन प्र.पी. 4 एवं अभियोगपत्र प्र.पी. 5 पेश किए गए हैं।

10. साक्षी कुसुम अ0सा0 1 के कथन का प्रतिपरीक्षण उपरांत जहाँ तक प्रश्न है, प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षिया स्वभाविक रूप से स्वीकार की है कि उसके सामने कोई घटना घटित नहीं हुई है, किन्तु उक्त साक्षिया घटना के 15-20 मिनट बाद घटनास्थल पर पहुँच गई थी जैसा कि उसने अपने कथन में बताया है और उसके द्वारा अपने पिता को घायल अवस्था में देखा गया था।



11. उक्त घटना के संबंध में आवेदक पक्ष के द्वारा अन्य चक्षुदर्शी बताए गए साक्षी मुन्नासिंह आ0सा0 2 के द्वारा यह बताया गया है कि घटना दिनांक को अनावेदक क्रमांक 1 के द्वारा वाहन क्रमांक एम.पी. 30 एल.ए. 0433 को तेजी व लापरवाही से चलाकर भिण्ड ग्वालियर रोड पर नीलेश शर्मा के होटल के पास उसे पलटा दिया जिससे उसके भाई वकीलसिंह तथा अन्य व्यक्ति ऋषिकेश गंभीर रूप से घायल हो गए। वकीलसिंह की इलाज के दौरान ट्रामा सेन्टर ग्वालियर में दिनांक 31.03.2014 को मृत्यु हो गई। उपरोक्त दुर्घटना अनावेदक क्रमांक 1 के द्वारा वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाए जाने के फलस्वरूप होना अपने साक्ष्य के दौरान बताया गया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी बताया है कि घटना के समय वह रोड के किनारे पर था और बाएं हाथ की तरफ रोड पर बैठा था, छोटा हाथी पलट गया था, इस कारण दुर्घटना हुई थी। वाहन का क्रमांक उसे किसी ने नहीं बताया था, वह ड्राइवरी करता है इसलिए नम्बर जानता है और इस सुझाव से इन्कार किया है कि उसके सामने कोई घटना घटित नहीं हुई और इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि मृतक उसका भाई होने से वह असत्य गवाही दे रहा है।

12. घटना के समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण साक्षी घटना का आहत ऋषिकेश प्रजापति जो कि क्लेम प्रकरण क्रमांक 37/14 का आवेदक भी है के द्वारा अपने साक्ष्य कथन आवेदनपत्र में किए गए अभिवचनों का समर्थन करते हुए बताया है कि दिनांक 19.03.2014 को मेहगांव से गल्ला लेकर महिन्द्रा छोटा हाथी क्रमांक एम.पी. 30 एल.ए. 0433 में गल्ला रखकर बैचने के लिए गोहद जा रहा था, उसके साथ वकीलसिंह भी गल्ला बैचने के लिए जा रहा था। उक्त वाहन को उसका चालक तेजी व लापरवाही से चलाकर ले जा रहा था, जैसे ही भिण्ड ग्वालियर रोड पर नीलेश शर्मा के होटल के पास पहुँचा तभी वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर वाहन को पलट दिया जिससे कि उसके दाहिने हाथ की कलाई में फ्रेक्चर हो गया, बाईं आँख की भौंह फट गई थी और बाएं कंधे, सिर में गंभीर चोटें आई थी एवं पूरे शरीर पर मूदी चोटें आई थी। उसे इलाज हेतु गोहद अस्पताल से जे.ए.एच. ग्वालियर न्यूरोलॉजी विभाग को रिफर कर दिया गया जहाँ उसका परीक्षण, इलाज आदि हुआ था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी यह बताया है कि घटना के समय वह व वकीलसिंह भी प्रश्नाधीन वाहन में था। घटना के समय वह बेहोश हो गया था, उसे वाहन का नम्बर गोहद चौराहे पर पता चला था। इस सुझाव से इन्कार किया है कि प्रश्नाधीन वाहन क्रमांक एम.पी. 30 एल.ए. 0433 से कोई दुर्घटना कारित नहीं हुई है और इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि उक्त गाड़ी का नम्बर क्लेम पाने के लिए गलत लिखाया है।

13. इस प्रकार उक्त साक्षी जो कि घटना का आहत भी है के कथन में स्पष्ट रूप

से यह आया है कि घटना दिनांक को वाहन छोटा हाथी जिसमें कि वह बैठे थे उसके चालक के द्वारा वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाने के फलस्वरूप दुर्घटना कारित की गई। यद्यपि वाहन के नम्बर के संबंध में साक्षी यह बता रहा है कि घटना में आई चोटों के कारण वह वेहोश हो गया था और उसे गोहद चौराहा थाने में वाहन के नम्बर का पता चला था, किन्तु मात्र इस आधार पर कि साक्षी को दुर्घटना होते समय वाहन का नम्बर मालूम नहीं था। साधारणतः यह अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि जिस वाहन में कोई व्यक्ति बैठता है उसके नम्बर को नोट कर ले अथवा उसे याद रखे। ऐसी दशा में जबकि साक्षी के द्वारा प्रश्नाधीन वाहन छोटा हाथी लोडिंग होना स्पष्ट रूप से बताया है और घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट में वाहन के क्रमांक का स्पष्ट रूप से उल्लेख आया है जो कि प्रश्नाधीन वाहन के द्वारा दुर्घटना कारित की जाने की पुष्टि करता है।

14. अनावेदक पक्ष के द्वारा आवेदक पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के प्रतिखण्डन में अनावेदक क्रमांक 2 जो कि प्रश्नाधीन वाहन का स्वामी है के कथन कराए गए हैं जिसने कि अपने कथन में यह बताया है कि उसके वाहन जिसका रजिस्ट्रेशन क्रमांक एम.पी. 30 एल.ए. 0433 है उससे कोई भी दुर्घटना कारित नहीं हुई है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी स्वीकार किया है कि दिनांक 19.03.2014 को वाहन छोटा हाथी क्रमांक एम.पी. 30 एल.ए. 0433 को अनावेदक क्रमांक कल्यानसिंह चला रहा था। उक्त वाहन नीलेश शर्मा के होटल के सामने पलट गया था जिसमें वकीलसिंह की मृत्यु हो गई थी और ऋषिकेश घायल हो गया था। इस बात को भी स्वीकार किया है कि घटना के संबंध में पुलिस थाना गोहद चौराहा में उक्त वाहन के चालक के खिलाफ रिपोर्ट हुई थी। उसकी गाड़ी (प्रश्नाधीन वाहन) घटना के बाद पुलिस के द्वारा जप्त करना भी स्वीकार किया है। इस बात को भी स्वीकार किया है कि उसने कहीं भी इस आशय की कोई शिकायत नहीं की, कि पुलिस ने उसकी गाड़ी को गलत रूप से अपराध क्रमांक 69/2014 में फसा दिया है। निश्चित रूप से उक्त साक्षी जो कि प्रश्नाधीन वाहन का स्वामी है वह घटना के समय उक्त वाहन में नहीं था। उसके द्वारा बाद में उसे पता चलाना बताया जा रहा है। यदि उसके वाहन को घटना में झूठा लिप्त किया गया था तो इस आशय की शिकायत वह संबंधित थाना प्रभारी अथवा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को कर सकता था, किन्तु ऐसी कोई भी शिकायत कि वाहन को मिथ्या रूप से फसाया गया है इस संबंध में की जानी दर्शित नहीं होती है।

15. यह उल्लेखनीय है कि अनावेदक क्रमांक 1 जो कि घटना के समय प्रश्नाधीन वाहन का चालक होना बताया गया है को भी अनावेदक पक्ष के द्वारा साक्षी के रूप में पेश नहीं किया गया है, जबकि उक्त साक्षी इस संबंध में तथ्यों को सही रूप से बता सकता था व

सर्वोत्तम साक्षी हो सकता था।

16. इस प्रकार आवेदक पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि घटना दिनांक को प्रश्नाधीन वाहन क्रमांक एम.पी. 30 एल.ए. 0433 के चालक अनावेदक क्रमांक 1 के द्वारा वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर पलट देने से दुर्घटना कारित हुई। उक्त दुर्घटना के फलस्वरूप मृतक वकीलसिंह की मृत्यु हो गई और ऋषिकेश को फ्रेक्चर होकर गंभीर उपहति कारित हुई जो कि आहत ऋषिकेश के शरीर पर चोटें आनी मेडीकल परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी. 25 और फ्रेक्चर होने के संबंध में एक्सरे रिपोर्ट प्र.पी. 26 से स्पष्ट होता है। इस प्रकार घटना दिनांक को अनावेदक क्रमांक 1 के द्वारा प्रश्नाधीन वाहन क्रमांक एम.पी. 30 एल.ए. 0433 को लापरवाही एवं उपेक्षापूर्वक चलाकर पलट दिया जिससे कि उसमें बैठे वकीलसिंह की मृत्यु हुई और आहत ऋषिकेश को चोटें आकर गंभीर कारित हुई है। तदनुसार दोनों ही प्रकरणों के बिन्दु वर्तमान बिन्दु क्रमांक 1 का निराकरण कर उत्तर "हाँ" में दिया जाता है।

क्लेम प्र0क0 38/2014 क्लेम का बिन्दु क. 2 :-

17. आवेदिका कुसुम अपने साक्ष्य कथन में बताई है कि मृतक वकीलसिंह कृषि एवं दूध का व्यवसाय करता था जिससे 10,000/- रुपए प्रति माह आमदनी अर्जित करता था। इस बिन्दु पर साक्षी मुन्नासिंह अ0सा0 2 के द्वारा भी वकीलसिंह के कृषि एवं दूध का व्यवसाय से 10,000/- रुपए प्रति माह आय अर्जित करना बताया है। प्रतिपरीक्षण में आवेदिका कुसुम उसे यह मालूम न होना बताई है कि उसके पापा कितने पैसे कमाते थे और वह इस बात का भी पता न होना बताई है कि उसके पापा कितना दूध बैचते थे और उनको दूध बैचने से कितनी आमदनी थी। इस संबंध में कोई लिखापट्टी भी मौजूद न होना उसके द्वारा बताया गया है और इस बात को भी स्वीकार की है कि जो खेती उसके पापा के पास थी वह आज भी उसके पास है। खेती के संबंध में कोई खसरा की नकल आदि पेश नहीं की गई है और दूध बैचकर आमदनी अर्जित करने बावत् भी कोई हिसाब, रजिस्टर या आमदनी बावत् कोई भी लेखीय प्रमाण प्रस्तुत नहीं है। ऐसी दशा में मात्र मौखिक कथन के आधार पर वकीलसिंह की आमदनी 10,000/- रुपए प्रति माह होना प्रमाणित नहीं होता है। तदनुसार वर्तमान बिन्दु अप्रमाणित रहता है।

क्लेम प्र0क0 37/2014 क्लेम का बिन्दु क. 2 :-

18. आवेदक ऋषिकेश को दुर्घटना में आई हुई चोटों से स्थाई अशक्तता आ जाने का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में साक्षी ऋषिकेश के साक्ष्य कथन में कहीं भी उसे दुर्घटना

के फलस्वरूप स्थाई अशक्तता आ जाने के संबंध में कोई भी बात नहीं बताई गई है। उसके द्वारा केवल यह बताया गया है कि उसे कलाई व कंधे में फ्रेक्चर हो गया था और वह एक वर्ष तक अपना काम नहीं कर सका था। आवेदक के द्वारा एक्सरे रिपोर्ट प्र.पी. 26 पेश की गई है। एक्सरे रिपोर्ट में रेडियश वोन में अस्थिभंग होने का उल्लेख आया है, किन्तु मात्र इस आधार पर कि आवेदक को कोई अस्थिभंग था जबकि स्थाई अशक्तता के संबंध में कोई भी मौखिक एवं दस्तावेजी प्रमाण आवेदक की ओर से पेश या प्रमाणित नहीं कराया गया है आवेदक को दुर्घटना में स्थाई अशक्तता आने का तथ्य प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है। तदनुसार वर्तमान बिन्दु का निराकरण कर उत्तर "नहीं" में दिया जाता है।

क्लेम प्र0कं0 38/2014 व 37/2014 का बिन्दु क्र. 3 :-

19. वर्तमान बिन्दु को प्रमाणित करने का भार अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कम्पनी पर है। अनावेदक क्रमांक 3 के द्वारा अपने अभिवचनों में यह बताया आधार लिया गया है कि दुर्घटना के समय प्रश्नाधीन बीमित वाहन का उपयोग अनाधिकृत यात्रियों को बैठाकर यात्री वाहन के रूप में उपयोग किया जा रहा था। जबकि प्रश्नाधीन वाहन गुड्स केरियर व्हीकल है, जिसमें कि अनाधिकृत यात्री की जोखिम कबर नहीं होती है। घटना दिनांक को मृतक/आहत अनाधिकृत यात्री के रूप में बैठकर यात्रा कर रहे थे, जबकि बीमा पॉलिसी के अंतर्गत चालक एवं परिचालक के अलावा अन्य किसी अनाधिकृत यात्री का कोई प्रीमियम नहीं लिया गया था। इसके अतिरिक्त प्रश्नाधीन वाहन के चालक अनावेदक क्रमांक 1 उसके मालिक अनावेदक क्रमांक 2 की जानकारी में बैध एवं प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस के बिना तथा प्रभावी परिमित व फिटिनेश के बिना वाहन को चला रहा था। इस आधार पर भी बीमा कम्पनी का क्षतिपूर्ति अदायगी बावत् कोई दायित्व नहीं है।

20. अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कम्पनी के द्वारा उपरोक्त संबंध में गोविंदसिंह सहायक ग्रेड- 3 आर0टी0ओ0 कार्यालय भिण्ड साक्षी क्रमांक 1, बीमा कम्पनी के विधिक अधिकारी पुलकित जैन साक्षी क्रमांक 2 तथा बीमा कम्पनी के इन्वेस्टीगेटर विवेक सक्सैना साक्षी क्रमांक 3 के रूप में कथन कराए गए हैं।

21. साक्षी विवेक सक्सैना अनावेदक क्रमांक 3 के साक्षी क्रमांक 3 के द्वारा जिन्होंने कि बीमा कम्पनी की ओर से प्रकरण में इन्वेस्टीगेशन किया गया है के द्वारा यह बताया गया है कि घटना दिनांक को उपरोक्त वाहन में ऋषिकेश व वकीलसिंह अनाधिकृत व्यक्ति के रूप में बैठकर जा रहे थे, उनके पास कोई भी सामान लोडिंग वाहन में ढोने के लिए नहीं था। पुलिस अनुसंधान के दौरान भी उक्त लोडिंग वाहन से घटनास्थल पर कोई भी गल्ला जप्त नहीं किया गया है और जप्ती पत्रक में केवल महिन्द्रा छोटा हाथी को जप्त होना उल्लेख किया गया है।



उक्त साक्षी के द्वारा यह भी बताया गया है कि प्रश्नाधीन वाहन के चालक कल्याणसिंह का ड्राइविंग लाइसेंस जो कि दिनांक 08.07.2009 से 07.07.2029 तक एल.एम.व्ही. एन्टी के लिए अधिकृत किया गया है। इन्वेस्टीगेशन रिपोर्ट प्र.डी. 8, अभियोगपत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.डी. 9 तथा जप्ती पत्रक प्र.डी. 10 पेश की गई है।

22. इस बिन्दु पर कम्पनी के अधिकारी पुलकित जैन अनावेदक क्रमांक 3 का साक्षी क्रमांक 2 के द्वारा यह बताया गया है कि वाहन क्रमांक एम.पी. 30 एल.ए. 0433 का बीमा उनकी कम्पनी के द्वारा दिनांक 31.10.2013 से 30.10.2014 तक माल वाहक यान के रूप में किया गया था। उक्त वाहन के ड्राइवर और क्लीनर के संबंध में रिस्कवर था और अन्य कोई व्यक्ति उसमें बैठता है तो वह अनाधिकृत सवारी के रूप में माना जाएगा, क्योंकि इस संबंध में कोई प्रीमियम नहीं किय गया था। मृतक वकीलसिंह एवं आहत ऋषिकेश अनाधिकृत सवारी के रूप में बैठे थे। उनके द्वारा बीमा पॉलिसी की प्रतिलिपि प्र.डी. 1 पेश की गई है। साक्षी ने यह भी बताया है कि प्रश्नाधीन वाहन घटना दिनांक को वैध एवं प्रभावी ड्राइविंग के बिना चलाया जा रहा था जो कि आर0टी0ओ0 कार्यालय भिण्ड से लाइसेंस के संबंध में डिटेल्स निकवाने पर उक्त दिनांक को उसके पास माल वाहक यान चलाने के लिए कोई वैध लाइसेंस नहीं था।

23. उपरोक्त संबंध में अनावेदक क्रमांक 3 के साक्षी गोविंदसिंह सहायक ग्रेड-3 आर0टी0ओ0 कार्यालय भिण्ड के द्वारा बताया गया है कि कल्याणसिंह का ड्राइविंग लाइसेंस मोटरसाइकिल एवं एम.एल.व्ही. नोन ट्रान्सपोर्ट के लिए दिनांक 08.07.2009 से दिनांक 07.07.2029 तक जारी किया गया है, लेकिन उक्त ड्राइविंग लाइसेंस कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार व्यवसायिक वाहन चलाने के लिए वैध एवं प्रभावी नहीं है। जिला परिवहन अधिकारी भिण्ड के द्वारा दिया गया पत्र प्र.डी. 3 और ड्राइविंग लाइसेंस की हिस्ट्री प्र.डी. 4 जिस पर अपने हस्ताक्षर होना साक्षी के द्वारा बताया गया है।

24. अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कम्पनी के द्वारा लिया गया अन्य आधार कि दुर्घटना के समय प्रश्नाधीन वाहन महिन्द्रा छोटा हाथी का उपयोग घटना दिनांक समय को माल वाहक यान के रूप में नहीं किया जा रहा था तथा मृतक वकीलसिंह व आहत ऋषिकेश वाहन में अनाधिकृत यात्री के रूप में सवारी कर रहे थे। जबकि उक्त वाहन में चालक और क्लीनर के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति के बैठने का कोई स्थान नहीं होता है। किसी सवारी के संबंध में कोई अतिरिक्त प्रीमियम भी बीमा कम्पनी के द्वारा नहीं लिया गया है। उक्त वाहन का उपयोग केवल माल ढोने के लिए होता है। इस संबंध में कम्पनी के अधिकारी पुलकित जैन के द्वारा यह बताया गया है कि वाहन क्रमांक एम.पी. 30 एल.ए. 0433 का बीमा उनकी कम्पनी के द्वारा दिनांक 31.10.2013 से 30.10.2014 तक माल वाहक यान के रूप में किया गया था। उक्त

वाहन के ड्रायवर और क्लीनर के संबंध में रिस्क कवर था और अन्य कोई व्यक्ति उसमें बैठता है तो वह अनाधिकृत सवारी के रूप में माना जाएगा, क्योंकि इस संबंध में कोई प्रीमियम नहीं किया गया था। मृतक वकीलसिंह एवं आहत ऋषिकेश अनाधिकृत सवारी के रूप में बैठे थे। उनके द्वारा बीमा पॉलिसी की प्रतिलिपि प्र.डी. 1 पेश की गई है।

25. उपरोक्त संबंध में अनावेदक क्रमांक 1 व 2 की ओर से साक्षी के रूप में वाहन स्वामी अनावेदक क्रमांक 2 गोविंदसिंह के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में यह बताया है कि घटना दिनांक को उसके पास वैध बीमा, फिटनेश, रजिस्ट्रेशन एवं परिमिट उक्त वाहन के संबंध में थे। इस संबंध में बीमा पॉलिसी की प्रति प्र.डी. 5, फिटनेश प्रमाणपत्र की प्रति प्र.डी. 6 एवं रजिस्ट्रेशन की प्रति प्र.डी. 7 है जिनकी कॉपी क्रमशः प्र.डी. 5सी, 6सी व 7 सी है। आवेदक के द्वारा प्रतिपरीक्षण किये जाने पर साक्षी वकीलसिंह और ऋषिकेश अपना गल्ला लादकर गोहद मण्डी में आने की बात को स्वीकार किया है, किन्तु इस संबंध में अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कम्पनी के द्वारा प्रतिपरीक्षण करने पर उसने यह बताया है कि घटना के समय वह घर पर था। उसे उसके गल्ला ले जाने के संबंध में 8 दिन बाद पता लगा था जो कि आहतगण के मोहल्ले के लोगों ने उसे उक्त बात बताई थी। इस प्रकार दुर्घटना के समय उक्त साक्षी जो कि वाहन का मालिक है वह उक्त वाहन में नहीं था और कोई गल्ला आरोपीगण ले जा रहे थे इस संबंध में व्यक्तिगत रूप से उसे कोई जानकारी भी नहीं है। इस संबंध में साक्षी यह भी बताया है कि सामान के भाड़े का कोई पैसा उसे नहीं दिया गया था, जबकि उसकी गाड़ी भाड़े से चलती है। निश्चित तौर से यदि कोई भाड़ा गाड़ी में सामान ले जाने का दिया गया होता तो वह उसे प्राप्त होता। यह भी उल्लेखनीय है कि दुर्घटना के समय कल्याणसिंह जो कि वाहन को चला रहा था और जिसके साथ मृतक तथा आहत उक्त वाहन में अपना सामान लेकर जाना बताया जा रहा है उसका कोई भी कथन अनावेदक क्रमांक 1 व 2 के द्वारा नहीं कराया गया है, जबकि वह इस संबंध में वास्तव में उसका कोई गल्ला लादा था अथवा नहीं सर्वोत्तम साक्षी हो सकता था। उसने इस बात को भी स्वीकार किया है कि कल्याणसिंह का ड्राइविंग लाइसेंस प्रकरण में पेश नहीं किया गया है।

26. यह भी उल्लेखनीय है कि घटना के पश्चात् संबंधित वाहन छोटा हाथी क्रमांक एम.पी. 30 एल.ए. 0433 की जप्ती अभियोजन के द्वारा उसी दिन घटनास्थल से की गई है, किन्तु उक्त वाहन में कोई भी गल्ला या कोई भी सामाग्री हो ऐसा कहीं भी जप्ती पत्रक में उल्लेख नहीं आया है। यदि उक्त वाहन में मृतक तथा आहत गल्ला लेकर जाते तो उसका उल्लेख जप्ती पत्रक में अवश्य होता। ऐसी स्थिति में वास्तव में उक्त प्रश्नाधीन वाहन में मृतक और आहत के गल्ला लेकर व अपना सामान लेकर सामान के स्वामी के रूप में

सवारी कर रहे थे ऐसा प्रमाणित नहीं होता है।

27. इस प्रकार मृतक वकीलसिंह व आहत ऋषिकेश घटना दिनांक को प्रश्नाधीन वाहन छोटा हाथी में सामान लेकर जा रहे थे और सामान के स्वामी के रूप में यात्रा कर रहे थे यह तथ्य प्रकरण में आई हुई साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित नहीं होता है। निश्चित तौर से वाहन जो कि माल वाहक वाहन है उसमें यात्रा करने हेतु मृतक या आहत अधिकृत नहीं थे और न ही माल के स्वामी के रूप में यात्रा कर रहे थे ऐसा पाया जाता है। उक्त दोनों ही अनाधिकृत यात्री के रूप में प्रश्नाधीन वाहन में यात्रा कर रहे थे जिनका कि कोई रिस्क कवर भी नहीं था। इस संबंध में अनुग्रह यात्री के प्रतिकर के लिए बीमा कम्पनी का उत्तरदायित्व नहीं होता है, इस बिन्दु पर यूनाइटेड इंडिया इश्योरेंस कम्पनी लि. वि0 सुरेश के.के. ए.आई. आर. 2008 एस.सी. 2871, नेशनल इश्योरेंस कम्पनी लि. वि0 अजीत कुमार ए.आई.आर. 2003 एस.सी. 3093, न्यू इंडिया इश्योरेंस कम्पनी वि0 बेजवती ए.आई.आर. 2007 वि0 एस.सी. 1334 उल्लेखनीय है।

28. इसके अतिरिक्त प्रश्नाधीन वाहन जो कि छोटा हाथी गुड्स कैरियर के रूप में होना स्पष्ट होता है। उक्त वाहन के चालक अनावेदक क्रमांक 1 के पास घटना के समय जो ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद है वह मोटरसाइकिल एवं एल.एम.व्ही. नोन ट्रांसपोर्ट के लिए जारी किया गया था जबकि प्रश्नाधीन वाहन जो कि गुड्स कैरियर के रूप में है, गुड्स कैरियर का कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस अनावेदक क्रमांक 1 के पास होना भी नहीं पाया जाता है।

29. उपरोक्त संबंध में अनावेदक अधिवक्ता ने अपने तर्क में व्यक्त किया कि प्रश्नाधीन वाहन जो कि छोटा हाथी है और उक्त वाहन के बजन के अनुसार वाहन चालन के लिए चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक नहीं है। ऐसी दशा में जो लाइसेंस अनावेदक क्रमांक 1 के पास मौजूद था वह उसके अनुसार प्रश्नाधीन वाहन को चलाने हेतु अधिकृत था। इस बिन्दु पर आवेदक की ओर से एम.ए.सी.डी. 2013 एस.सी. 193 एस.आई. अयप्पन वि0 मै. यूनाइटेड इंडिया कम्पनी बगैरह पेश किया गया है, जिसमें कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा चालक के पास लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस मौजूद होने के परिप्रेक्ष्य में यह अवधारित किया कि महिन्द्रा मैक्सी केब जो कि लाइट मोटर व्हीकल की श्रेणी में आता है, यद्यपि मैक्सी केब कॉमर्शियल वाहन के रूप में उपयोग किया जा रहा था और चालक के ड्राइविंग लाइसेंस में कॉमर्शियल वाहन का इन्डोर्समेन्ट नहीं था, उसे मोटर व्हीकल एक्ट एवं बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन नहीं माना गया था।

30. उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। प्रश्नाधीन वाहन जो कि लोडिंग वाहन के



रूप में है। निश्चित रूप से उक्त वाहन को चलाने हेतु केवल मोटरसाइकिल तथा एल.एम.व्ही. ट्रांसपोर्ट का ड्राइविंग लाइसेंस पर्याप्त नहीं है, बल्कि ट्रांसपोर्ट वाहन चलाने हेतु ड्राइविंग लाइसेंस चालक के पास होना आवश्यक था। प्रश्नाधीन वाहन के चालक के पास जो लाइसेंस मौजूद है वह लाइट मोटर व्हीकल नोन ट्रांसपोर्ट का है। जबकि प्रश्नाधीन वाहन लोडिंग वाहन होकर ट्रांसपोर्ट वाहन है। ऐसी दशा में जबकि ट्रांसपोर्ट वाहन अलग श्रेणी में आते हैं। उक्त न्यायिक दृष्टांत के आधार पर वर्तमान प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों में उसे लागू नहीं किया जा सकता है। ऐसी दशा में अनावेदक क्रमांक 1 के पास घटना के समय वैध एवं प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस होना नहीं पाया जाता है। दुर्घटना के समय वाहन चालक के पास यदि व्यवसायिक वाहन चलाने हेतु अनुज्ञप्ति नहीं थी तो यह बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा। इस बिन्दु पर नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लि. वि० कुसुम राय, ए.आई.आर. 2006 एस.सी. 3440 एस. अय्यपन वि० यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी लि.(2013)7 एस.सी. सी. उल्लेखनीय है।

31. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में जबकि घटना के समय प्रश्नाधीन वाहन जो कि लोडिंग वाहन है उसमें मृतक वकीलसिंह व आहत ऋषिकेश बैठकर यात्रा कर रहे थे। उक्त वाहन में सामान के स्वामी के रूप में उसमें सवारी कर रहे हो ऐसा प्रमाणित नहीं होता है, बल्कि अनाधिकृत यात्री के रूप में उक्त वाहन में वह यात्रा कर रहे थे। इसके अतिरिक्त प्रश्नाधीन वाहन के चालक के पास दुर्घटना के समय प्रश्नाधीन वाहन को चलाने हेतु वैध एवं प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद नहीं था। तदनुसार बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन कर प्रश्नाधीन वाहन चलाया जाना प्रमाणित होता है।

32. इस प्रकार जबकि प्रश्नाधीन वाहन मोटर व्हीकल एक्ट एवं बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन कर चलाया जाना प्रमाणित होता है। आवेदक अधिवक्ता ने अपने तर्क में यह व्यक्त किया कि बीमा कम्पनी को प्रतिकर की राशि अदा करने का आदेश दिया जाकर उसे उसके चालक एवं स्वामी से बसूल करने का अधिकार प्रदान किया जा सकता है। इस संबंध में जैसा कि प्रकरण में आई हुई साक्ष्य से स्पष्ट है कि आवेदक/मृतक अनुग्रह यात्री के रूप में माल वाहक में यात्रा करना पाया गया है, यदि माल वाहक में यदि कोई व्यक्ति अनुग्रह यात्री के रूप में बैठा है जो न तो माल का स्वामी है और माल स्वामी अधिकृत प्रतिनिधि हो तो उसको कारित क्षति के लिए उस वाहन की बीमा कम्पनी का उत्तरदायित्व नहीं होता है, क्योंकि माल वाहक में बैठे हुए अनुग्रह यात्री के लिए बीमा कराने का कोई कानूनी दायित्व वाहन स्वामी का नहीं होता है। इस परिप्रेक्ष्य में भुगतान कर बसूलने का अधिकार जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अपने संवैधानिक अधिकारों के तहत प्रदान किया जाता है।



इस अधिकरण के द्वारा इस प्रकार का कोई आदेश प्रदान किया जाना उचित नहीं है। तदनुसार अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कम्पनी का प्रतिकर अदायगी हेतु कोई दायित्व नहीं रहता है। प्रतिकर अदायगी का दायित्व अनावेदक क्रमांक 1 व 2 का है।

क्लेम प्र0कं0 38/2014 का बिन्दु क. 4 :-

33. प्रकरण में पूर्ववर्ती विवेचन एवं वाद बिन्दुओं पर निकाले गए निष्कर्ष के आधार पर यह प्रमाणित होना पाया गया है कि घटना दिनांक को अनावेदक क्रमांक 1 के द्वारा वाहन छोटा हाथी लोडिंग क्रमांक एम.पी. 30 एल.ए. 0433 जो कि अनावेदक क्रमांक 2 के स्वामित्व का है, को तेजी व लापरवाही से चलाकर दुर्घटना कारित की जिसके फलस्वरूप आई हुई चोटों के इलाज के दौरान वकीलसिंह की मृत्यु दिनांक 31.03.2014 को हुई है जो कि दुर्घटना दिनांक 19.03.2014 को घटित हुई है, जिसमें वकीलसिंह को चोटें आई थी, जिसका कि इलाज भी चला था जो कि गोहद अस्पताल से ट्राम सेंटर ग्वालियर में भर्ती रहा है। मृतक वकीलसिंह की मोटरयान दुर्घटना में मृत्यु होने के फलस्वरूप उसकी एक मात्र वारिस पुत्री के द्वारा उसके वारिस होने के आधार पर प्रतिकर हेतु वर्तमान दावा पेश किया गया है।

34. मृतक वकीलसिंह की मोटरयान दुर्घटना में मृत्यु होने के कारण उसके वारिस को प्राप्त होने वाले प्रतिकर का जहाँ तक प्रश्न है। आवेदिका मृतक वकीलसिंह की पुत्री है इस प्रकार दुर्घटना के समय मृतक के आश्रितों में केवल उसकी पुत्री वारिस मौजूद होना पाए जाते हैं। दुर्घटना के समय मृतक वकीलसिंह की उम्र का जहाँ तक प्रश्न है इस संबंध में आवेदिका कुसुम के द्वारा यह बताया गया है कि दुर्घटना के समय उसके पिता की उम्र 50 वर्ष की थी, इस संबंध में कोई भी दस्तावेजी प्रमाण आवेदक पक्ष के द्वारा पेश नहीं किया गया है। इस संबंध में मृतक वकीलसिंह की मृत्यु के पश्चात् शवपरीक्षण आवेदनपत्र एवं शव परीक्षण रिपोर्ट में भी उसकी उम्र 50 वर्ष की होनी उल्लेखित है। इस प्रकार मृत्यु के समय मृतक वकीलसिंह की उम्र 50 वर्ष की होनी पाई जाती है।

35. मृतक वकीलसिंह की आमदनी का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में पूर्ववर्ती वाद बिन्दुओं पर निकाले गए निष्कर्ष से उसकी कोई निश्चित आमदनी होनी नहीं पाई गई है। यद्यपि मृतक की कोई निश्चित आमदनी होनी नहीं पाई गई है, लेकिन मृतक हो जो कि 50 वर्षीय अर्धेड उम्र का व्यक्ति है वह मेहनत, मजदूरी आदि कर के 3000/- रूपए प्रतिमाह आमदनी अर्जित कर लेता होगा ऐसा माना जा सकता है।

36. मृतक वकीलसिंह की मृत्यु के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले प्रतिकर का जहाँ तक प्रश्न है। दुर्घटना के फलस्वरूप मृतक वकीलसिंह को आई हुई चोटों का इलाज भी हुआ है

और वह ट्रामा सेंटर ग्वालियर में भर्ती भी रहा है तथा मृत्यु के पश्चात् उसके शव को जयारोग्य चिकित्सालय के एम्बूलेंस से उसके गांव लाया गया। इस संबंध में बिल व पर्चे प्र.पी. 6 लगायत 26 पेश कि गए हैं। उक्त बिल व पर्चे एवं अन्य खर्चा जिनकी राशि 6230/- रूपए आवेदिका को प्रतिकर स्वरूप दिलाई जानी उचित होगी। इसके अतिरिक्त मृतक की मृत्यु के समय उसकी आमदनी 3000/- रूपए प्रति माह होना पाई गई है तथा उस पर आश्रित की संख्या 1 होना पाई गई है। इस परिप्रेक्ष्य में जबकि उस पर आश्रितों की संख्या 1 होना पाई गई है उसकी कुल आमदनी का 1/2 भाग स्वयं पर व्यय करता होगा यह माना जाएगा। इस प्रकार स्वयं पर व्यय आय का 1500/- रूपए हुआ और आमदनी के नुकसान के मद में  $3000 - 1500 = 1500/-$  रूपए प्रतिमाह होगा जो कि वार्षिक  $1500 \times 12 = 18,000/-$  रूपए होगी। उक्त कुल राशि में मृतक की उम्र के अनुसार जो कि 50 वर्ष की होनी अभिनिर्धारित की गई है, उपरोक्त राशि में 13 का गुणांक लगेगा। इस प्रकार आमदनी के नुकसान के मद में कुल प्रतिकर की राशि  $18,000 \times 13 = 2,34,000/-$  रूपए होगी। इसके अतिरिक्त अंतिम संस्कार के खर्च के रूप में 20000/- रूपए भी दिलाए जाना उचित प्रतिकर होगा। इस प्रकार कुल प्रतिकर की राशि  $2,34,000 + 20,000 + 6,230 = 2,60,230/-$  रूपए होगा। कुल प्रतिकर की राशि में आवेदिका दावा प्रस्तुत दिनांक से बसूली तक 6% व्याज भी पाने के अधिकारी है।

37. प्रतिकर की राशि अदायगी का दायित्व का जहाँ तक प्रश्न है, बीमा कम्पनी का प्रतिकर अदायगी का कोई दायित्व होना नहीं पाया गया है। प्रतिकर अदायगी का दायित्व अनावेदक क्रमांक 1 व 2 का संयुक्त एवं पृथक पृथक रूप से होगा। तदनुसार कुल प्रतिकर की राशि 2,60,230/- रूपए एवं उस पर दावा प्रस्तुति से बसूली तक 6 प्रतिशत व्याज आवेदिका अनावेदकगण क्रमांक 1 व 2 से संयुक्त एवं पृथक पृथक रूप से प्राप्त करने के अधिकारी पायी जाती है। तदनुसार इस बिन्दु का निराकरण किया जाता है।

क्लेम प्र0 क्र0 37/2014 का बिन्दु क्रमांक 4

38. प्रकरण में पूर्ववर्ती विवेचन एवं वाद बिन्दुओं पर निकाले गए निष्कर्ष के आधार पर यह प्रमाणित होना पाया गया है कि घटना दिनांक को अनावेदक क्रमांक 1 के द्वारा वाहन छोटा हाथी लोडिंग क्रमांक एम.पी. 30 एल.ए. 0433 जो कि अनावेदक क्रमांक 2 के स्वामित्व का है, को तेजी व लापरवाही से चलाकर दुर्घटना कारित की जिसके फलस्वरूप आई हुई चोटों में आवेदक ऋषिकेश को फेक्चर होकर गंभीर उपहति कारित हुई है। यद्यपि आहत को कोई स्थाई अशक्तता होनी नहीं पाई गई है। आवेदक ऋषिकेश के द्वारा उसका लम्बा इलाज

चलना बताया है और एक वर्ष तक कोई कार्य न कर पाना भी अपने कथन में अभिकथित किया है। इस संबंध में आहत के द्वारा कराए गए इलाज के बिल व पर्चे प्र.पी. 27 लगायत 31 पेश किए गए हैं। आहत ऋषिकेश जिसे कि रेडियस वोन में अस्थिभंग हुआ है और उसके सिर में भी चोटें आई हैं। निश्चित तौर से उसका इलाज चला होगा। यद्यपि इस संबंध में बिल या पर्चे पेश किए गए हैं वह कम राशि के हैं, किन्तु निश्चित तौर से आवेदक को इलाज में दवाई आदि में खर्चा हुआ होगा और इसके अतिरिक्त इलाज के दौरान उसे आने जाने एवं पोष्टिक आहार का भी सेवन करना पड़ा होगा और मानसिक पीडा व कष्ट भी सहन करना पड़ा होगा। उक्त सभी मदों में आवेदक को 21,000/- रुपए प्रतिकर स्वरूप दिलाया जाना उचित होगा।

39. आवेदक को आमदनी के नुकसान के मद में प्रतिकर का जहाँ तक प्रश्न है, आवेदक की कोई निश्चित आमदनी होनी नहीं पाई गई है, किन्तु वह 24 वर्षीय नव युवक होकर कोई काम आदि कर 3000/- रुपए आमदनी अर्जित कर सकता था। यद्यपि आवेदक उसे एक साल तक कोई काम नहीं कर पाना अभिकथित किया है, किन्तु आवेदक को आई हुई उपहति के संबंध में यह स्वभाविक नहीं कहा जा सकता है। कलाई की चोट से वह दो माह आमदनी अर्जित नहीं कर पाया होगा माना जा सकता है। ऐसी दशा में उसे दो माह के आमदनी के नुकसान के मद में केवल 6000/- रुपए दिलाया जाना उचित होगा। इस परिप्रेक्ष्य में कुल प्रतिकर की राशि 27,000/- रुपए होगी। कुल प्रतिकर की राशि पर आवेदक दावा प्रस्तुत दिनांक से बसूली तक 6% व्याज भी पाने का अधिकारी है।

40. प्रतिकर की राशि अदायगी का दायित्व अनावेदक क्रमांक 1 व 2 का संयुक्त एवं पृथक पृथक रूप से होगा। तदनुसार कुल प्रतिकर की राशि 27,000/- रुपए एवं उस पर दावा प्रस्तुति दिनांक से बसूली तक 6 प्रतिशत व्याज आवेदक अनावेदकगण क्रमांक 1 व 2 से संयुक्त एवं प्रथक प्रथक रूप से प्राप्त करने के अधिकारी पाया जाता है। तदनुसार इस बिन्दु का निराकरण किया जाता है।

क्लेम प्र0 कं0 38/2014 का बिन्दु क्रमांक 5

सहायता एवं व्यय:-

41. उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण के पश्चात आवेदिका की ओर से प्रस्तुत याचिका आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। याचिका स्वीकार करते हुए निम्न आशय का अवार्ड पारित किया जाता है-

1. आवेदिका अनावेदक क्रमांक 1 व 2 से संयुक्त एवं प्रथक-प्रथक रूप से 2,60,230/- रुपए की राशि प्राप्त करने के अधिकारी है एवं उक्त प्रतिकर की राशि

पर दावा प्रस्तुति दिनांक से उसकी सबूती तक 6 प्रतिशत वार्षिक दर से व्याज पाने की अधिकारी होगी।

2. उक्त राशि जमा होने पर आवेदिका को प्राप्त होने वाली राशि का 40 प्रतिशत भाग 05 वर्ष की अवधि के लिए एवं 25 प्रतिशत भाग 03 वर्ष की अवधि के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के सावधि खाते में जमा किये जाए, शेष राशि बचत खाते के माध्यम से नगद भुगतान की जाए।
3. अभिभाषक शुल्क 1000/- रुपए निर्धारित की जाती है।  
तदनुसार व्यय तालिका बनाई जावे।

क्लेम प्र0 क्र0 37/2014 का बिन्दु क्रमांक 5

सहायता एवं व्यय:-

42. उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण के पश्चात आवेदक की ओर से प्रस्तुत याचिका आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। याचिका स्वीकार करते हुए निम्न आशय का अवार्ड पारित किया जाता है-

1. आवेदक अनावेदकगण क्रमांक 1 व 2 से संयुक्त एवं प्रथक-प्रथक रूप से 27,000/- रुपए की राशि प्राप्त करने के अधिकारी है एवं उक्त प्रतिकर की राशि पर दावा प्रस्तुति दिनांक से उसकी सबूती तक 6 प्रतिशत वार्षिक दर से व्याज पाने के अधिकारी होगी।
2. उक्त राशि जमा होने पर उसका 40 प्रतिशत भाग 3 वर्ष की अवधि के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के सावधि खाते में जमा किये जाए, शेष राशि बचत खाते के माध्यम से नगद भुगतान की जाए।
3. अभिभाषक शुल्क 500/- रुपए निर्धारित की जाती है।  
तदनुसार व्यय तालिका बनायी जाये।

अधिनिर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित  
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी0सी0थपलियाल)  
अति0मोटर दुर्घटना दावा अधि0  
गोहद जिला भिण्ड

(डी0सी0थपलियाल)  
अति0मोटर दुर्घटना दावा अधि0  
गोहद जिला भिण्ड